(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3949–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–12–12 पारित द्वारा तहसील न्यायालय टिमरनी प्रकरण कमांक 12/अ/12–13.

1– मंजीत सिंह आत्मज नानक सिंह चावला
2– कुलदीप सिंह आत्मज नानक सिंह चावला
निवासीगण टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नारायण प्रसाद आत्मज लक्ष्मीनारायण
निवासी वार्ड नं. 14, रेहटगांव रोड टिमरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा
2– नर्मदा प्रसाद आत्मज गेंदालाल कोसल
निवासी टिमरनी जिला हरदा ....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसील न्यायालय टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक पक्ष लक्ष्मीनारायण द्वारा मौजा टिमरनी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 177/1 एवं 177/6 रकबा 1.158 एवं 0012 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु अधीक्षक, भू–अभिलेख, हरदा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षकों एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 3–12–12 को सीमांकन किया जाकर स्थल पंचनामा, फील्ड बुक एवं

नक्शा बनाया गया । इसी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये सीमांकन किया गया है, जबकि सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर हितबद्ध व्यक्तियों एवं समस्त पड़ोसी कृषकों को व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली कराना आवश्यक है । यह भी कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 के आज्ञापक प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है और न ही आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है, इसलिए सीमांकन कार्यवाही दूषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर सीमांकन आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन स्थायी सीमा चिन्हों से किया जाकर पंचनामा बनाया गया है एवं फील्ड बुक, नक्शा तैयार किया गया है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा सीमांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने के संबंध में तर्कों में अथवा निगरानी मेमों में ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है, जिससे कि सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाये । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील न्यायालय टिमरनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर